


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अपने भविष्य निधि खाता सं०- एल०जे०यू० 21085 से पूर्व में अस्थायी रूप से जो धनराशि प्राप्त की गयी थी, उसे किश्तों में सम्पूर्ण अदा कर दिया गया है तथा अन्तिम किश्त नवम्बर 2018 में प्रार्थी ने जमा की थी। उसके बाद प्रार्थी ने कोई अस्थायी धनराशि भविष्य निधि खाते से आहरण नहीं की है तथा स्थायी रूप से अभी तक मेरे द्वारा कोई आहरण नहीं किया गया है।

 शशि भूषण पाण्डेय
28/01/22

(शशि भूषण पाण्डेय)

पीठासीन अधिकारी,


मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,

सीतापुर।

दिनांक : 28.01.22

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शशि भूषण पाण्डेय (मैं स्वयं), पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, सीतापुर के आहरण एवं वितरण अधिकारी होने के कारण, स्वयं द्वारा सत्यापित सामान्य भविष्य निधि खाता सं०- एल०जे०यू० 21085 के पास बुक के अनुसार मेरे सामान्य भविष्य निधि खाते में वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्त में कुल 5208177/ (बावन लाख आठ हजार एक सौ सतहत्तर) रुपये जमा धनराशि उपलब्ध है। मेरे द्वारा याचित 31,00,000/ (इकतीस लाख) रुपये अन्तिम निष्कासन किये जाने के उपरान्त 2108177/(इक्कीस लाख आठ हजार एक सौ सतहत्तर) रुपये अवशेष बचते हैं।


शशि भूषण पाण्डेय
28/01/22

(शशि भूषण पाण्डेय)

पीठासीन अधिकारी,

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण /


आहरण एवं वितरण अधिकारी,

सीतापुर।

दिनांक : 28.01.22

प्रमाण-पत्र

जी०पी०एफ० नियम 1985 के प्राविधानों के अनुसार मेरे द्वारा अपने भविष्य निधि खाता सं०- एल०जे०यू० 21085 से भवन निर्माण हेतु अंकन 31,00,000/ (इकतीस लाख) रूपये की अत्यन्त आवश्यकता है एवं अन्तिम निष्कासन के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि मेरे द्वारा भवन निर्माण के उद्देश्य से ही खर्च की जायेगी। किसी अन्य मद में खर्च नहीं की जायेगी।



(शशि भूषण पाण्डेय)

दिनांक : 28.01.22

पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
सीतापुर।

वचन-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अपने भविष्य निधि खाता सं०- एल०जे०यू० 21085 से भवन निर्माण हेतु अंकन 31,00,000/ (इकतीस लाख) रूपये की अन्तिम निष्कासन हेतु निवेदन किया गया है। यदि कोई अतिरिक्त भुगतान मेरे पक्ष में किया जाता है तो उसे मेरे द्वारा भविष्य में वापस कर दिया जायेगा।

 शशि भूषण पाण्डेय
28/01/22

(शशि भूषण पाण्डेय)

दिनांक : 28.01.22

पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
सीतापुर।